

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.1215 OF 2024

IN THE MATTER OF

YADRAM SINGH

... APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS

...RESPONDENTS

Index

S No.	Particulars	Page Nos.
1.	Counter Affidavit on behalf of Respondent No. 10 to the Original Application.	3-11
2.	ANNEXURE R-1 A true copy of the order dated 11.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	12-13
3.	ANNEXURE R-2 A true copy of E-Tender-Cum-E-Tender auction advertised, by the District Magistrate district Hamirpur dated 14.06.2024	14-18
4.	ANNEXURE R-3 A true copy of the Letter of Intent issued on favour of the answering Respondent by District Magistrate district Hamirpur vide letter dated 27.07.2024.	19-21
5.	ANNEXURE R-4	22-24

	A true copy of GST certificate of answering Respondent no. 10 issued on 05.02.2024.	
6.	ANNEXURE R-5 A true copy of application in respect of clean Environment/ Environment Clearance certificate dated 21.08.2025.	25
7.	VAKALATNAMA	26

Filed by



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No. 10
Chamber No. 203, Second Floor,
M.C. Setalvad Lawyers Chambers,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
8447229428

Date: 09.10.2025

Advocateashishpandey16@gmail.com

Place: New Delhi

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.1215 OF 2024

IN THE MATTER OF

YADRAM SINGH

... APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS ...RESPONDENTS

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.10

i.e. MAA RAKTDANTIKA CONSTRUCTION.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

PRELIMINARY SUBMISSION

1. It is respectfully submitted that the abovementioned present Original Application No is pending before this Hon'ble Tribunal for the adjudication. The key issue pending before the Hon'ble Tribunal is pertaining to the validity of the E-Tender notice dated 14.06.2024 for various sites of river bed sand mining of Balu/Morrum by granting mining lease /license for a period of six months in District Hamirpur, Uttar Pradesh.
2. The Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 11.08.2025, directed the Respondents in the present Original Application to submit their responses within two weeks' time. A true copy of the order dated 11.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1.**

3. It is further submitted that the DSR has to be prepared by the state government for the district after conducting replenishment studies to ensure environmental sustainability and balance in sand mining. Which is sin qua non for identification of area prone to erosion or aggradation. The DSR must be based on Sustainable Sand Mining and Management Guidelines, 2016 as well the Enforcement and Monitoring of Environment, Forest, and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC).
4. It is further submitted that E-Tender-Cum-E-Auction dated 14.06.2024 vide- S.No. 344/Khanij- M.M.C-3 Vigyapti Morrum (2024-25) as per the Mines and Minerals Concession Rules, 2021 (hereinafter referred to as MMCR, 2021) was advertised by the District Magistrate district- Hamirpur for Sand/Morrum mining from Riverbed of Betwa River at Village – Chikasi, Khand No.- 23/15, Gata No.- 01,02,03, & 14/12, Lease Area- 31.392 Ha. (77.53 Acres), Tehsil-Sarila, District-Hamirpur, Uttar Pradesh, Project Proponent- M/s Maa Raktdantika Construction (Prop. - Smt. Sadhna Rajpoot) Detail- (SW No. SW/244560/2025). A true copy of E-Tender-Cum-E-Auction notice dated 14.06.2024, issued by District Magistrate district Hamirpur is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- R-2**.
5. After the successful bidding, the Letter of Intent was issued on 27.07.2024 by the District Magistrate, District-Hamirpur to answering Respondent in respect of Sand/Morrum to the tune of 1,82,185 cubic meters. A true copy of the letter of intent dated 27.07.2024 issued by District Magistrate

district- Hamirpur to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-R-3**.

6. It is submitted that for the kind of perusal of the Hon'ble Tribunal the Registration certificate of Good and Service Tax issued on 05.02.2024 to the answering Respondent is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-4**.
7. It is further submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as MoEF&CC), has made it mandatory to obtain Environmental Clearance prior to establishing or expansion of any such project or activity which is listed in the schedule of notification. Environmental Clearance required for:
 - A. All new projects or activities listed in the schedule of this notification.
 - B. Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the schedule, after expansion or modernization.
 - C. Any change in product- mix in an existing manufacturing unit included in schedule beyond the specified range.
 - D. Objective of this process is to impose certain restrictions and prohibition on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts.

Therefore, the answering Respondent has already applied for prerequisite Environmental Clearance Certificate as per the prescribed rules, on 21.08.2025 with Uttar Pradesh, State Environmental Impact Assessment Authority. A true copy of application dated 21.08.2025 to UP-SEIAA is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-5.**

8. It is further submitted that the answering Respondent denies all claims, contention, submission, allegation, and/or averment made by the applicant in the Original Application. Which is contrary to or inconsistent with the present reply or the records of the case.
9. It is submitted that the answering Respondent is a law-abiding citizen of India having full faith and regard for the law of land.

Para-wise Reply

10. That the averments made in paragraph 1 to 4 of the application being introductory in nature. Therefore, need no comments from the answering Respondent.
11. That the averments made in paragraph 5 to 7.1 of the application is related to the queries raised by the applicant regarding the issue of validity of E-Tender Notice granting mining lease for a short period of 6- month in the District Hamirpur, without the valid DSR being in existence which is in violation of environmental law and norms. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain

of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.

12. That the averments made in paragraph 7.2 of the application is related to the queries raised by the applicant regarding the issue of expiry of District Survey Report for district Hamirpur on account of completion of 5 years from the date of publication. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
13. That the averment made in paragraphs 7.3 to 7.4 of the application is related to the preparation of the District Survey Report in accordance with the SSMG, 2016, and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (hereinafter referred as EMGSM) issued by MoEF&CC. It is respectfully submitted that the said matters do not fall within the domain of the answering respondent. The concerned authorities of the state may response on these issues.
14. That the averments made in paragraphs 7.5 to 7.8 of the application is a matter of record and need no comments from the answering respondent.
15. That the averments made in paragraph 7.9 of the application is regarding the replenishment study of the riverbed after the validity of the previous DSR has been expired. It is submitted that the said matter does not fall within the domain of the answering respondent and

465

therefore, the concerned authorities of the state may
response on these issues.

Filed by



ASHISH PANDEY

Advocate for Respondent No. 10
Chamber No. 203, Second Floor,
M.C. Setalvad Lawyers Chambers,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
8447229428

Date: **09.10.2025**

Advocateashishpandey16@gmail.com

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1215 OF 2024

IN THE MATTER OF

YADRAM SINGH


.... APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS

.... RESPONDENTS

AFFIDAVIT



I, Sadhna Rajpoot, D/o Fool Singh Rajpoot, aged about 38 years, Prop. M/S MAA RAKTADANTIKA CONSTRUCTION, presently at Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under.

1. That, I am Prop. of Respondent no. 10 i.e. M/S MAA RAKTADANTIKA CONSTRUCTION in the above mentioned in the Original Application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case. Therefore, I am competent to swear the present affidavit in my official capacity.
2. That, I have read and understood the contents of the accompanying reply and the same has read over to me and explained to me by my counsel in my and the same are true and correct to the best of my knowledge and belief as per the record available with my office, and no part of the same are false and nothing material record have been concealed therefrom.
3. The Annexures annexed with the reply are true copies of the

respective originals.


BEFORE ME
 Sign: VIJAY KUMAR DWIVEDI
 Advocate & Notary
 Local 22368 Govt. of UP

Sadhna

Sadhu
DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent, do hereby verifying that the contents of para no 1 to 3 of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material have been concealed therefrom.



Verified at Lucknow on _____ day of September of 2025.

Sadhu
DEPONENT

THROUGH,

ASHISH PANDEY
ADVOCATE

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
15/9/19
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
22366 Govt. of India

ANNEXURE R-1

Item No. 14

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**Original Application No. 1215/2024
(I.A. Nos. 590/2024 & 591/2024)

Yadram Singh

Applicant

Versus

District Magistrate, Hamirpur & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 11.08.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Aaditya Thorat, Adv. for Applicant
Respondent: Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP
Mr. Narender Pal Singh, Adv. for MoEF & CC
Mr. Gaurav Agarwal, Adv. for R - 9
Mr. Ashish Pandey, Adv. for R - 10 (Through VC)

ORDER

1. Learned Counsel appearing for the State has informed that out of 05 LOIs, 01 LOI has been cancelled.
2. Learned Counsel for the applicant has also submitted that in terms of the liberty granted by the Tribunal on 30.01.2025, applicant has impleaded the remaining 04 LOI holders and has served them except respondent no.8 Sachin Kumar Singh. He is permitted to take fresh steps for service of notice on respondent no.8.
3. Learned Counsel appearing for respondent no.9 & 10 seek two weeks' time to file the reply.
4. Interim order to continue.
5. List on 14.10.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 11, 2025
Original Application No. 1215/2024
(I.A. Nos. 590/2024 & 591/2024)
JG.



TRUE COPY

ANNEXURE R-2

[1]

प्रारूप-1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या-344/खनिज-एम0एम0सी-तीस विज्ञापित गौरग (2024-25) दिनांक- 14.06.2024

ई-निविदा आमंत्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनदेश संख्या-781/86-2020-14(सा0)/2020 दिनांक-23.05.2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/गौरग के खनन क्षेत्रों को छः माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञापत्र पर स्वीकृत करने के आशय से उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक-18.05.2024 से 23.05.2024 (05 कार्य दिवस) की अवधि में क्षेत्रों के लिये ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदाये उल्लिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड सं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमा	जिओकोऑर्डेट		उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी० में)	आधार मूल्य (शायल्टी दर X निर्धारित/आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षांश	देशान्तर				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	हमीरपुर	बेरी	10/1	84.17	उत्तर-ग्राम इन्द्रपुरी/बिन्दपुरी में नदिना के तल में बने नदी की सीमा। दक्षिण-ग्राम बरेंडा डाडा व नदिना नदी की सीमा पूर्व-खण्ड सख्या-20/7 की सीमा व क्षेत्र पश्चिम-खण्ड स-10/2 की सीमा व क्षेत्र	A-N-25°53'30.60" B-N-25°53'44.79" C-N-25°53'32.32" D-N-25°53'18.10"	E-79°57'10.69" E-79°57'00.90" E-79°56'41.40" E-79°56'54.10"	बालू/ गौरग	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
2	हमीरपुर	बेरी	10/2	83	उत्तर-ग्राम इन्द्रपुरी की सीमा दक्षिण-ग्राम बरेंडा की सीमा पूर्व-खण्ड स-10/1 पश्चिम-खण्ड सख्या-10/3	A-N-25°53'3.60" B-N-25°53'14.90" C-N-25°53'32.32" D-N-25°53'18.10"	E-79°56'38.30" E-79°56'26.50" E-79°56'41.40" E-79°56'54.10"	बालू/ गौरग	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
3	हमीरपुर	बेरी	10/3	90	उत्तर-ग्राम बेरी (बिन्दपुरी) व नदिना नदी की सीमा। दक्षिण-ग्राम अछपुरी व नदिना नदी की सीमा। पूर्व-खण्ड स-10/2 पश्चिम-खण्ड स-10/2	A-N-25°53'14.90" B-N-25°53'1.21" C-N-25°52'45.54" D-N-25°52'54.85" E-N-25°53'3.60"	E-79°56'26.50" E-79°56'10.03" E-79°56'23.15" E-79°56'32.32" E-79°56'38.30"	बालू/ गौरग	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
4	हमीरपुर	बेरी	10/22	81.18	उत्तर-सिमानाक्षित सीमा स्तम्भ की व सी तदवगत गाजा इन्द्रपुरी की भूमि। दक्षिण-सिमानाक्षित सीमा स्तम्भ की व सी तदवगत गाजा इन्द्रपुरी की भूमि। पूर्व-सिमानाक्षित सीमा स्तम्भ की व सी तदवगत गाजा इन्द्रपुरी की भूमि। पश्चिम-सिमानाक्षित सीमा स्तम्भ की व सी तदवगत गाजा इन्द्रपुरी की भूमि।	A-N-25°52'45.20" B-N-25°52'58.05" C-N-25°52'50.11" D-N-25°52'22.01"	E-79°54'48.96" E-79°54'17.65" E-79°54'29.66" E-79°54'21.21"	बालू/ गौरग	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
5	हमीरपुर	बेरी	10/29	30	उत्तर-ग्राम बेरी की सीमा दक्षिण-ग्राम कुरा की भूमि पूर्व-खण्ड सख्या-10/30 पश्चिम-नदी का क्षेत्र नदिना नदी की सीमा।	A-N-25°53'12.78" B-N-25°53'14.46" C-N-25°52'57.66" D-N-25°52'53.93"	E-79°52'10.26" E-79°52'16.86" E-79°52'24.36" E-79°52'17.47"	बालू/ गौरग	97.152	1,45,72,800	72,86,400
6	हमीरपुर	बेरी	10/33	50	उत्तर-नदिना नदी का कमान दक्षिण-दक्षिण में नदिना नदी का कमान पूर्व-पूर्व में खण्ड सख्या-10/36 की सीमा पश्चिम-पश्चिम में खण्ड सख्या-10/32 की सीमा।	A-N-25°53'40.22" B-N-25°53'1.21" C-N-25°53'24.86" D-N-25°53'20.81" E-N-25°53'35.27"	E-79°53'14.60" E-79°56'10.03" E-79°53'09.94" E-79°53'03.12" E-79°52'57.46"	बालू/ गौरग	1,61,920	2,42,88,000	1,21,44,000

[2]

7	हमीरपुर	बेरी	23/26	60	उत्तर-गंग इन्वयरी (बेरी की भूमि) दक्षिण- गंग नदी का शोथ भाग पूर्व- खण्ड सख्या-20/22 पश्चिम-खण्ड सख्या-23/22	A-N-25°51'10.70" B-N-25°51'14.42" C-N-25°52'52.71" D-N-25°52'53.00" E-N-25°52'52.41" F-N-25°52'45.20" G-N-25°52'48.05" H-N-25°53'00.40"	E-79°54'6.44" F-79°53'55.45" G-79°54'0.82" H-79°54'4.49" I-79°54'5.58" J-79°54'8.96" K-79°54'11.65" L-79°54'15.11"	वालू/ गौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
8	गौदहा	टीकापुर	20/5	90	उत्तर-गंग नदी की सीमा। दक्षिण- टीकापुर की सीमा। पूर्व- खण्ड सख्या-20/4 पश्चिम-खण्ड सख्या-20/6	A-N-25°54'21.20" B-N-25°54'2.52" C-N-25°53'51.17" D-N-25°54'6.02"	E-79°57'38.91" F-79°57'45.60" G-79°57'31.06" H-79°57'18.72"	वालू/ गौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
9	गौदहा	टीकापुर	20/6	56.31	उत्तर-बेरी की सीमा। दक्षिण- टीकापुर की सीमा। पूर्व- खण्ड सख्या-20/5 पश्चिम-खण्ड सख्या-20/7	A-N-25°53'54.50" B-N-25°53'40.77" C-N-25°53'51.37" D-N-25°54'6.02"	E-79°57'9.82" F-79°57'20.50" G-79°57'10.69" H-79°57'18.72"	वालू/ गौरम	1,71,000	2,56,50,000	1,28,25,000
10	गौदहा	टीकापुर	20/7	50.63	उत्तर-बेरी की सीमा। दक्षिण- बेरी की सीमा। पूर्व- बेरी नदी के भूमि का शोथ भाग पश्चिम- बेरी नदी के खण्ड सख्या-20/6 पश्चिम-बेरी नदी के खण्ड सख्या-10/1	A-N-25°53'54.50" B-N-25°53'40.77" C-N-25°53'39.60" D-N-25°53'45.82"	E-79°57'9.82" F-79°57'20.50" G-79°57'10.69" H-79°57'0.34"	वालू/ गौरम	1,53,750	2,30,62,500	1,15,31,250
11	सरीला	भेडी खरका	23/12	30	उत्तर-खण्ड सख्या-23/11 की सीमा। दक्षिण-खण्ड सख्या-23/13 की सीमा। पूर्व- बेरी नदी के जलान की सीमा। पश्चिम-खण्ड सख्या-23/7 की सीमा।	A-N-25°54'38.25" B-N-25°54'40.50" C-N-25°54'36.30" D-N-25°54'33.20"	E-79°49'1.50" F-79°49'29.40" G-79°49'32.50" H-79°49'0.20"	वालू/ गौरम	97.152	1,45,72,800	72,86,400
12	सरीला	भेडी खरका	23/20	30	उत्तर-खण्ड सख्या-23/21 दक्षिण-खण्ड सख्या-23/19 पूर्व- जनपद जलान की सीमा। पश्चिम-खदान के जाने वाला कच्चा सस्ता आगे खण्ड सख्या-23/16	A-N-25°54'03.10" B1-N-25°54'5.50" B-N-25°54'6.36" C-N-25°54'11.70" C1-N-25°54'10.40" D-N-25°54'8.40"	E-79°49'17.90" F-79°49'40.10" G-79°49'47.97" H-79°49'45.19" I-79°49'37.60" J-79°49'18.80"	वालू/ गौरम	97.152	1,45,72,800	72,86,400
13	सरीला	भेडी खरका	23/23	27.17	उत्तर-खण्ड सख्या-23/13 दक्षिण-खण्ड सख्या-23/21 पूर्व- बेरी नदी के जनपद जलान की सीमा। पश्चिम-खण्ड सख्या-23/14 के लगे सस्ते की सीमा।	A-N-25°54'25.65" B-N-25°54'31.73" C-N-25°54'32.70" D-N-25°54'23.86" E-N-25°54'21.71"	E-79°49'22.91" F-79°49'25.19" G-79°49'34.20" H-79°49'39.55" I-79°49'21.70"	वालू/ गौरम	97.152	1,45,72,800	72,86,400
14	सरीला	चिकारसी	24/15	90	उत्तर-जनपद जलान विधत नदी का शोथ भाग। दक्षिण-ग्राम चिकारसी का शोथ भाग। पूर्व- खण्ड सख्या-24/14 पश्चिम-खण्ड सख्या-24/16	A-N-25°49'55.50" B-N-25°49'40.40" C-N-25°49'50.19" D-N-25°50'07.97"	E-79°28'22.01" F-79°28'10.20" G-79°27'52.77" H-79°28'07.32"	वालू/ गौरम	1,82,185	2,73,27,750	1,36,63,875
15	राट	टोला खंगारन	4	51.87	उत्तर-सोमरतम ए व सी नदी का शोथ भाग। दक्षिण-सोमरतम ए व सी नदी का शोथ भाग। पूर्व- सोमरतम ए व सी नदी का शोथ भाग। पश्चिम-सोमरतम ए व सी नदी का शोथ भाग।	A-N-25°42'51.6" B-N-25°42'44.10" C-N-25°42'27.50" D-N-25°42'35.62"	E-79°22'13.98" F-79°22'29.30" G-79°22'22.40" H-79°22'12.69"	वालू/ गौरम	1,67,980	2,51,97,000	1,25,98,500

शर्त :-

1. खनन अनुज्ञा-पत्र की अवधि (मानसून सत्र अर्थात माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (वालू या गौरम या बजरी या बोल्टर या इनमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति में उल्लिखित की मात्रा अनुमन्य होगी।

3. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री विड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्टर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये गौंके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:--
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-॥ का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
 - (ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 - प्रारूप-2 की सूचनायें :-
 - क- विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख- विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नं0।
 - घ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 - ङ- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0-2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 - च- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 - छ- पैनकार्ड का क्रमांक।
 - ज- चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
 - झ- कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।
 - स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-
 - क- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0-2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग- पैन कार्ड।

घ- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ङ- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फार्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुरार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेंगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये सगस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

(5)

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का रीगांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन राशियाँ सम्पादित करेगा।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शारानादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
20. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।
21. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा।
22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञा पत्र धारक को मान्य होगा।
23. वैज्ञानिक आधार पर मात्रा का संशोधन जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है।


(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या-

/तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापित को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हमीरपुर।
8. कार्यालय आदेश दिनांक-27.05.2020 के द्वारा गठित निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिलाधिकारी,
हमीरपुर।



TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 249 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक- 27.06.2024

मॉ0 रक्तदन्तिकां कन्सट्रक्शन,
प्रो0 साधना राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत
निवासी-राजेन्द्र नगर बबई रोड, उरई
जिला जालौन उ0प्र0।

आशय-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के भूतत्त्व एवं खनिकर्मा अनुभाग के शासनादेश संख्या-781/86-2020-14(सा10)/2020 दिनांक-23.05.2020 के द्वारा नदी ताल में उपखनिज बालू/मौरम बजरी आदि के स्वीकृत खनन पट्टों के समय पूर्व निरस्त हो जाने अथवा सर्गर्षित हो जाने की दशा में उन्हें छः माह की अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली से व्यवस्थित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक-23.05.2020 के क्रम में जनपद हमीरपुर के बालू/मौरम के उपखनिज क्षेत्रों को 06 माह की अल्प अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पर स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र संख्या-344/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विज्ञप्ति मौरम (2024-25) दिनांक-14.06.2024 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ई-निविदायें आमन्त्रित की गई थी। निर्गत विज्ञप्ति दिनांक-14.06.2024 के क्रम में बालू/मौरम खनन क्षेत्र तहसील सरीला के ग्राम चिकासी, खण्ड संख्या-24/15, रकबा-90 एकड़, मात्रा-1,82,185 घनमी0 हेतु आपने ई-निविदा में सर्वाधिक दर रु0-720/-प्रति घनमी0 की दर से निविदा दी है। आप द्वारा दी गई रु0-720/-प्रति घन मीटर की निविदा सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक होने के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबन्धिक रूप से एतद्वारा स्वीकार की जाती है :-

शर्तें:-

- 1 सफल निविदादाता, ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि, डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करेगा। यदि सफल निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- 2 क्षेत्र में आंकलित खनिज की मात्रा 1,82,185 घनमी0 पर आपके द्वारा ई-निविदा में दी गयी बोली रु0-720/-प्रति घन मी0 के दर से कुल रु0-13,11,73,200/-की देयता रायल्टी के मद में बनती है।
- 3 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रारूप-3 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 4 अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञा मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
- 5 अनुज्ञाधारक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।

2


- 6 जिन क्षेत्र में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा।
- 7 अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- 8 प्रश्नगत खनन क्षेत्र का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में यदि कोई बदलाव होता है, तो वह मान्य होगा।

अनुज्ञा पत्र की शर्तें

- (1) अनुज्ञाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकारी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। अनुज्ञाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। अनुज्ञा पत्र धारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी सगस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (2) अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को सही विवरण सहित ई-एम0एम0-11 जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (3) अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
- (4) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
- (5) नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (7) यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन अनुज्ञा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र, खनन योजना, आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।
- (8) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाप्तिधारी की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा किया जायेगा।
- (9) अनुज्ञा पत्र धारक को खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (10) अनुज्ञा पत्र धारक को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं गाननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।
- (11) स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

- (12) खनन अनुज्ञा से निकाले गये खनिज का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत खनन अनुज्ञाधारक क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में अनुज्ञाधारक भूमि के स्वामी को नियम-68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।
- (14) अनुज्ञा पत्र समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में अनुज्ञा पत्र धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (15) पानी रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम-1974 और वायु रोकथाम और नियन्त्रण प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत C.T.O पानी और वायु का प्राप्ति करने के उपरान्त ही खनन कार्य चालू किया जायेगा।
- (16) खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने उपरान्त जारी विज्ञापित में उल्लिखित आंकलित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की गारंटी स्वीकार नहीं की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विषयगत खनन अनुज्ञा पत्र (छः माह) के अधीन देय सम्पूर्ण धनराशि ₹0-13,11,73,200/- का 50 प्रतिशत धनराशि ₹0-6,55,86,600/- में रो अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि ₹0-1,36,63,875/- (खीडी) को समायोजित कर शेष धनराशि ₹0-5,19,22,725/- आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक (0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियाँ और 01-अन्य प्राप्तियाँ) में जमा करें। उक्त धनराशि www.rajkosh.up.nic.in पर जाकर आनलाइन भी जमा की जा सकती है तथा धनराशि जमा होने के उपरान्त चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0-6,55,86,600/-, देय डी0एम0एफ0 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना होगा। यदि नियत अवधि में देय धनराशि जमा नहीं की जाती है तब आपके द्वारा बयाने के रूप में जमा की गयी धनराशि ₹0-1,36,63,875/- को, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा, जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


 27-7-24
 (राहुल पाण्डेय)
 जिलाधिकारी
 हमीरपुर

संख्या-

/तद्दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानियस कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।


 जिलाधिकारी
 हमीरपुर



TRUE COPY



Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09ELHPR5472R1ZX

1.	Legal Name	SADHNA RAJPOOT			
2.	Trade Name, if any	MAA RAKTDANTIKA CONSTRUCTION			
3.	Additional trade names, if any				
4.	Constitution of Business	Proprietorship			
5.	Address of Principal Place of Business	Building No./Flat No.: 465 Name Of Premises/Building: RAJENDRA NAGAR Road/Street: BAMBI KAMER ROAD City/Town/Village: Orai District: Jalaun State: Uttar Pradesh PIN Code: 285001			
6.	Date of Liability				
7.	Period of Validity	From	05/02/2024	To	Not Applicable
8.	Type of Registration	Regular			
9.	Particulars of Approving	Uttar Pradesh			
Signature					
Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 07 Date: 2024.02.05 11:15:33 IST					
Name		praveen shrotriya			
Designation		Assistant Commissioner			
Jurisdictional Office		Jalaun, Sector-3 Orai			
Date of issue of Certificate		05/02/2024			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 05/02/2024 by the jurisdictional authority.



Goods and Services Tax Identification Number: 09ELHPR5472R1ZX

Details of Additional Place of Business(s)

Legal Name	SADHNA RAJPOOT
Trade Name, if any	MAA RAKTDANTIKA CONSTRUCTION

Total Number of Additional Places of Business in the State 0



Goods and Services Tax Identification Number: 09ELHPR5472R1ZX

Legal Name SADHNA RAJPOOT
Trade Name, if any MAA RAKTDANTIKA CONSTRUCTION

Details of Proprietor

1



Name	SADHNA RAJPOOT
Designation/Status	Proprietor
Resident of State	Uttar Pradesh

Apandey

TRUE COPY

VAKALATNAMA
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH SITTING AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1215 OF 2024

IN Re:-

YADRAM SINGH _____
 Versus

Plaintiffs/Appellant/Petitioner/ Applicant

DISTRICT MAGISTRATE, HAMIRPUR & ORS _____

Defendants/Respondent/Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We **SADHNA RAJPOOT D/O FOOL SINGH RAJPOOT**, the abovenamed .. **RESPONDENT NO. 10** .. do hereby appoint

ASHISH PANDEY

D/9902/2023

CHAMBER NO. 203, M C SETALVAD BLOCK, SUPREME COURT OF INDIA-110001, NEW DELHI

8447229428

(herein after called the advocates) to be my/our Advocate in the above-rected case authorize them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file verify and present pleadings appeals cross-objections or petitions for executions review revision withdrawal or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said cases at its stages subject to payment of fees for each stage.

- To fill and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party
- To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching in any manner relating to the said case
- To take execution proceedings.
- To deposit draw and receive money cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case
- To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred on the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter of my own acts, as if done by me/us to all intents and purposes

And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter of my own acts, as if done by me/us to all intents and purposes

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate of my appearance when the case is called

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself

And I/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fees is paid I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case progoes for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these present the contents of which have been understood by me/us on this 30 Day of **SEPTEMBER** 2025

Accepted subject to terms of fees


(ASHISH PANDEY)

Advocate



CLIENT

ASHISH PANDEY
 Advocate
 Delhi High Court
 RC-139, Prem Vihar
 Khora Colony, GZB
 Mob. 8447229428

